न्यायालय न्याय निर्णयन अधिकारी एवं अपर जिला मजिस्ट्रेट, बाड़मेर
पीठासीन अधिकारी : राजेन्द्र सिंह चांदावत, आर0ए0एस0

खाद्य सुरक्षा परिवाद सं. 75 / 2025

प्रार्थी –
राजस्थान सरकार जरिये खाद्य सुरक्षा अधिकारी बाड़मेर

बनाम

अप्रार्थी –
मोहन लाल पुत्र तगाराम जाति खत्री निवासी कल्याण पुरा मार्ग नम्बर 02 बाड़मेर (मैसर्स हिंगलाज पकवान (ठेलागाड़ी), सुभाष चौक, बाड़मेर का विक्रेता व मालिक)

परिवाद अन्तर्गत धारा 26(2)(ii) सहपठित धारा 58 खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006

उपस्थिति :–
1. अभियोजन अधिकारी प्रार्थी की ओर से उपस्थित।
2. अधिवक्ता श्री महेन्द्र कुमार रामावत, अप्रार्थी की ओर से उपस्थित।

आदेश

दिनांक : 21.01.2026

1. प्रार्थी की ओर से यह परिवाद खाद्य सुरक्षा अधिकारी बाड़मेर द्वारा धारा 26 की उप धारा (2)(ii) के उल्लंघन के फलस्वरूप धारा 58 खाद्य सुरक्षा और मानक अधिनियम 2006 के अन्तर्गत अप्रार्थी के विरूद्ध प्रस्तुत किया गया है। खाद्य सुरक्षा अधिकारी बाड़मेर द्वारा प्रस्तुत परिवाद के संक्षिप्त तथ्य यह है कि अप्रार्थीगण की फर्म **मैसर्स हिंगलाज पकवान (ठेलागाड़ी), सुभाष चौक, बाड़मेर** पर निरीक्षण दिनांक **14.06.2025** को विक्रय हेतु रखा गया खाद्य पदार्थ **यूज्ड ग्राउंड नट ऑयल (एक कड़ाई मे लगभग 05 किलो)** भरा हुआ पाया, को मिलावट का होने के शक पर नियमानुसार **1600 ग्राम यूज्ड ग्राउंड नट ऑयल (एक कड़ाई मे लगभग 05 किलो)** वास्ते नमूना क्रय किया जाकर नमूना संख्या **पी–2897** अंकित कर इसकी जांच खाद्य सुरक्षा और मानक अधिनियम, 2006 के तहत कराये जाने हेतु प्रपत्र–5(ए) भरकर अप्रार्थी एवं गवाह व विक्रेता के हस्ताक्षर करवाये गये। उक्त खाद्य पदार्थ **यूज्ड ग्राउंड नट ऑयल (एक कड़ाई मे लगभग 05 किलो)** का नमूना वास्ते जांच खाद्य विश्लेषक, खाद्य सुरक्षा एवं मानक प्रयोगशाला जोधपुर को भिजवाया गया। खाद्य विश्लेषक, खाद्य सुरक्षा एवं मानक प्रयोगशाला जोधपुर द्वारा उक्त खाद्य पदार्थ **यूज्ड ग्राउंड नट ऑयल (एक कड़ाई मे लगभग 05 किलो)** का नमूना **अवमानक (Sub-Standard)** पाये जाने पर अप्रार्थी को जरिये नोटिस सूचना दी गई, जिस पर अप्रार्थी द्वारा कोई जवाब प्रस्तुत नहीं किया। इस पर प्रार्थी खाद्य सुरक्षा अधिकारी बाड़मेर द्वारा यह परिवाद प्रस्तुत कर अप्रार्थीगण को खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 की धारा 26 की उप धारा (2)(ii) का उल्लंघन करने के लिए अधिनियम की धारा 58 के तहत जुर्माना से दण्डित करने का निवेदन किया है।
2. अप्रार्थी को जरिये रजिस्टर्ड नोटिस तलब किया गया। अप्रार्थी के अधिवक्ता ने लिखित जवाब में पेश किया कि उपरोक्त विवादित सेम्पल निर्धारित मानक का नहीं था, ऐसी

न्याय निर्णयन अधिकारी एवं
अपर जिला मजिस्ट्रेट बाड़मेर

स्थिति में प्रकरण में लिये गये सेम्पल बाबत् मात्र मेनुफैक्चर की ही जवाबदारी बनती है। विप्रार्थी की सीलबन्दी माल के संबंध में किसी भी प्रकार की जिम्मेदारी नहीं बनती है। अतः जवाब प्रस्तुत कर निवेदन है कि विप्रार्थी संख्या 1 के विरूद्व उपरोक्त कार्यवाही निरस्त फरमाई जावे।

3. प्रार्थी की ओर से प्रस्तुत परिवाद का अवलोकन किया एवं पत्रावली में प्रस्तुत दस्तावेजों का अवलोकन किया गया। अप्रार्थी द्वारा कारित अपराध खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 के अन्तर्गत जुर्माना से दण्डनीय है तथा खाद्य पदार्थों से सम्बन्धित सुरक्षा मानकों के प्रति उदासीनता मानव स्वास्थ्य के प्रति गम्भीर अपराध की श्रेणी में माना गया है। अप्रार्थी के प्रतिष्ठान से लिये गये खाद्य पदार्थ के नमूना की खाद्य विश्लेषक, खाद्य सुरक्षा एवं मानक प्रयोगशाला जोधपुर से प्राप्त नमूना जांच रिपोर्ट दिनांक **25.06.2025** की प्रति जरिये नोटिस सूचित किये जाने पर उसके द्वारा उस पर कोई असहमति प्रकट नहीं की गई है। प्रकरण में इस न्यायालय के समक्ष अप्रार्थी ने जवाब में यह प्रकट किया है कि उपरोक्त विवादित सेम्पल निर्धारित मानक का नहीं था, ऐसी स्थिति में प्रकरण में लिये गये सेम्पल बाबत् मात्र मेनुफैक्चर की ही जवाबदारी बनती है। विप्रार्थी की सीलबन्दी माल के संबंध में किसी भी प्रकार की जिम्मेदारी नहीं बनती है। अतः जवाब प्रस्तुत कर निवेदन है कि विप्रार्थी संख्या 1 के विरूद्व उपरोक्त कार्यवाही निरस्त फरमाई जावे। इससे जाहिर है कि अप्रार्थी के प्रतिष्ठान से खाद्य पदार्थ का लिया गया नमूना **अवमानक (Sub-standard)** स्तर का पाया गया है। जांच रिपोर्ट के अनुसार **Butyro Refractometer Reading** जिसका मानक स्तर न्यूनतम **54 to 57.1 के मुकाबले 58.51** पाया गया है जो कि मानक स्तर का नहीं है। ऐसे में अप्रार्थी द्वारा कोई ठोस एवं तथ्यात्मक जवाब/प्रतिरक्षण प्रस्तुत नहीं करना उनकी मौन स्वीकारोक्ति है। लिहाजा अप्रार्थी के विरूद्व खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 की धारा 26 की उप धारा (2)(ii) का उल्लंघन करने के लिए अधिनियम की धारा 58 के तहत जुर्म प्रमाणित हैं।

4. अतः उपर्युक्त तथ्यों एवं परिस्थितियों पर विवेचन उपरांत अप्रार्थी के विरूद्व अपराध धारा 58 खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 प्रमाणित होने से अप्रार्थी पर **रूपये 3,500/–** का जुर्माना अधिरोपित किया जाता है। अप्रार्थी उक्त जुर्माना राशि का बैंक डिमाण्ड ड्राफ्ट मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी बाड़मेर के नाम पेश करें, जो पेश होने पर सम्बन्धित अधिकारी को राजकोष मे जमा करवाने हेतु भिजवाया जावें। पत्रावली निर्णय शुमार होकर दाखिल दफ्तर हों।

5. आदेश आज दिनांक 21.01.2026 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(राजेन्द्र सिंह चांदावत)
न्याय निर्णयन अधिकारी एवं
अपर जिला मजिस्ट्रेट, बाड़मेर